

प्रेषक,

अपर निदेशक
पशुपालन विभाग
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड-देहरादून


पत्रांक 842 /स्था0-2/स्थाना0/2018-19 दिनांक 12-6-2018

विषय:- कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेशों को वैबसाईट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों/
वैटरिनरी फार्मसिस्टों/लिपिक संवर्ग कर्मचारी/पशुधन सहायक/अनुसेवक के संशोधित
स्थानान्तरण आदेश विभागीय वैबसाईट पर प्रसारण हेतु सलंगन कर आपकी सेवा में प्रेषित है।
कृपया उक्त आदेशों को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करेंगे।

सलंगन-यथोपरि।

भवदीय,


(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

मण्डलीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित लिपिक सवंग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानान्तरण स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	श्रीमती अनीता उनियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, टिहरी सम्बद्ध-शीप बोर्ड, देहरादून	कार्या०-मु०प०चि०अ०, रुद्रप्रयाग	जनहित
2	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, रुद्रप्रयाग	कार्या०-मु०प०चि०अ०, पौड़ी	जनहित
3	श्री गुणानन्द, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, पौड़ी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, टिहरी	जनहित
4	श्रीमती इन्दू कोटनाला, प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, रुद्रप्रयाग सम्बद्ध-शीप बोर्ड, देहरादून	कार्या०-मु०प०चि०अ०, उत्तरकाशी	जनहित
5	श्री शम्भू प्रसाद मैखूरी, प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, हरिद्वार	कार्या०-मु०प०चि०अ०, रुद्रप्रयाग	जनहित
6	श्री शिशुपाल सिंह फरस्वाण, प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, उत्तरकाशी	कार्या०-मु०प०चि०अ०, हरिद्वार	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

- संख्या 737 /स्था०-2/स्थाना०-लिपिक/2018-19 दिनांक 10-6-18
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
 3. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
 4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
 5. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।


(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

मण्डलीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वेटेरिनरी फार्मसिस्टों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानान्तरण स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री श्रीपाल सिंह	प०चि०, सहिया-देहरादून	प०चि०, लाखामण्डल-देहरादून	जनहित
2	श्री महावीर प्रसाद रतूड़ी	प०चि०, मुनिकीरेती-टिहरी	प०चि०, सरोड़ा-मरोड़ा पौड़ी	जनहित
3	श्री भीमराज भण्डारी	प०चि०, कैम्पटी-टिहरी	प०चि०, डुण्डा-उत्तरकाशी	जनहित
4	श्री नरेश शर्मा	प०चि०, कालागढ़-पौड़ी	प०चि०, काण्डाखाल-पौड़ी	जनहित
5	श्री बीरेन्द्र सिंह राणा	प०चि०, बड़कोट-उत्तरकाशी	प०चि०, राजगढ़ी-उत्तरकाशी	जनहित
6	श्री मदन लाल	प०चि०, डुण्डा-उत्तरकाशी	प०चि०, दिचली- उत्तरकाशी	जनहित
7	श्री एम०एस०नेगी	प०चि०, रूड़की-हरिद्वार	प०चि०, चौरिया भरदार-पौड़ी	जनहित
8	श्री बिमल कुमार	प०चि०, सरोड़ा-मरोड़ा पौड़ी	प०चि०, मुनिकीरेती-टिहरी	जनहित
9	श्री बृजमोहन गैरोला	प०चि०, कोट-पौड़ी	प०चि०, डडुवादेवी-पौड़ी	10/2018 को रिक्त होने पर प्रभावी।
10	श्री विरेन्द्र सिंह रावत	प०चि०, कर्णप्रयाग-चमोली	प०चि०, विकासनगर-देहरादून	जनहित
11	श्री दीपक सिंह	प०चि०, विकासनगर-देहरादून	प०चि०, बालावाला-देहरादून	जनहित
12	श्री सुशील कुमार	प०चि०, पोखड़ा-पौड़ी	प०चि०, रूड़की-हरिद्वार	जनहित
13	श्री अशफाक अहमद	प०चि०, काण्डाखाल-पौड़ी	प०चि०, लक्सर-हरिद्वार	जनहित
14	श्री रविन्द्र कुमार बमराड़ा	प०चि०, बालावाला- देहरादून	प०चि०, कैम्पटी-टिहरी	जनहित
15	श्री सत्यपाल सिंह नेगी	प०चि०, राजगढ़ी- उत्तरकाशी	प०चि०, नौगांव-उत्तरकाशी	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

संख्या 736

/स्था०-2/स्थाना०-वे०फा०/2018-19 दिनांक 16-6-18

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
2. सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी
3. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

मण्डलीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित पशुधन प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानान्तरण स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री दिवाकर प्रसाद नैथानी	प०से०के०, गांगरो सम्बद्ध-यू०एल०डी०बी०, ऋषिकेश	प०से०के०, कथियान-देहरादून	जनहित
2	श्री राजबीर सिंह	प०से०के०, चौली-हरिद्वार	प०से०के०, हिसरियाखाल-टिहरी	जनहित
3	श्री नरेश कुमार	प०से०के०, पथरी-हरिद्वार	कुक्कुट प्रक्षेत्र, बहादुराबाद-हरिद्वार	जनहित
4	श्री संजय नयाल	प०से०के०, जमनीपुर-देहरादून	प०से०के०, पोखरीखेत- पौड़ी	जनहित
5	श्री सुरेन्द्र प्रसाद उनियाल	प०से०के०, कौडियाला-टिहरी	प०से०के०, मदननेगी- टिहरी	जनहित
6	श्री प्रदीप कुमार ढौडियाल	प०से०के०, निरंजनपुर-हरिद्वार	प०से०के०, कोरूवा- देहरादून	जनहित
7	श्री यशपाल सिंह	कृ०गर्भा०के०, ज्ञानसू-उत्तरकाशी	मेढा केन्द्र, भरणगांव-उत्तरकाशी	जनहित
8	श्री मोहन लाल कोहली	प०से०के०, बैरागना-चमोली	रा०प०से०के०, पीपलकोटी-चमोली	जनहित
9	श्री उत्तम सिंह	मेढा केन्द्र, गंगोरी-उत्तरकाशी	मेढा केन्द्र, सौरा- उत्तरकाशी	जनहित
10	श्री रमेश दत्त उनियाल	मेढा केन्द्र, भटवाड़ी-उत्तरकाशी	प०से०के०, गजोली- उत्तरकाशी	जनहित
11	श्री आनन्द सिंह कटैत	प०से०के०, मगरौ-टिहरी	प०से०के०, निरंजनपुर- हरिद्वार	जनहित
12	श्री शशिकान्त मैठाणी	प०से०के०, सुमेरसैण-पौड़ी	प०से०के०, कौडियाला- टिहरी	जनहित
13	श्री कृष्णानन्द सेमवाल	भे०प्र०प्र०, कोपडधार-टिहरी	प०से०के०, गंगी-टिहरी	जनहित
14	श्री भीम सिंह करासी	प०से०के०, रायड़ी-रुद्रप्रयाग	प०से०के०, मुण्डलाना- हरिद्वार	जनहित
15	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	प०से०के०, कुमारकोट-उ०काशी	प०से०के०, जमनीपुर- देहरादून	जनहित
16	श्री प्रेम लाल खत्री	भे०प्र०प्र०, खलियानबांगर-रुद्रप्रयाग	प०से०के०, भूधार- रुद्रप्रयाग	अनुरोध के आधार पर
17	श्री दिनेश कुमार	प०से०के०, सौरा-उत्तरकाशी	मेढा केन्द्र, गंगोरी- उत्तरकाशी	जनहित
18	श्री प्रमोद कुमार	प०प्र०प्र०, कालसी-देहरादून	प०से०के०, स्यानाचट्टी-उ०काशी	पारस्परिक
19	श्री राकेश बहुगुणा	प०से०के०, स्यानाचट्टी-उ०काशी	कालसी प्रक्षेत्र देहरादून	स्थानान्तरण अनुरोध पर

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

संख्या 135 /स्था०-2/स्थाना०-प०प्र०अ०/2018-19 दिनांक 10.6.2018

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
2. सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी
3. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

मण्डलीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित पशुधन सहायको/अनुसेवको का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	स्थानान्तरण स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री मनमोहन सिंह, अनुसेवक	कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	प०चि०, श्यामपुर-देहरादून	निजी अनुरोध पर
2	श्री बचन सिंह, पशुधन सहायक	प०चि०, नारसन-हरिद्वार	प०चि०, थलीसैण-पौड़ी	निजी अनुरोध पर
3	श्री संजय कुमार, पशुधन सहायक	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पीपलकोटी-चमोली	मु०प०चि०अ०, हरिद्वार के अधीन	निजी अनुरोध पर

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक

संख्या 738 /स्था०-2/स्थाना०-पशुधन सहायक/2018-19 दिनांक 10-6-18

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
3. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक